COURT FEE INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE INDIA एक रुपया ONE RUPEE

COURT FEE INDIA एक रुपया ONE RUPEE

58
14.1.11

3 = 7.00

प्रतिलिपि आदेश दिनांक- 14.1.2011 ई० द्वारा पारित न्यायालय उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर फैजाबाद अन्तर्गत धारा 143 ज० वि० वाद संख्या 02 ग्राम- कुरावन, परगना- पश्चिम राठ, तहसील मिल्कीपुर, जिला- फैजाबाद उन्वानी मुकदमा आर० डी० मेमोरियल बनाम सरकार तारीख फैसला- 14.1.2011 ई०

क्रम संख्या 58

प्रार्थना-पत्र देने की तारीख 14.1.11

नोटिस बोर्ड पर नकल देने की सूचना की तारीख 20.1.11

[illegible] तारीख 20.1.11

[illegible] 7.00

[illegible] के हस्ताक्षर

कॉपी की सत्य प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है

Principal
R.D. Memorial Institute of Medical Sciences
Yashwant Nagar, Kurawan, Milkipur, Ayodhya

प्रबन्धक
यश-शील ग्रामोत्थान सेवा संस्थान
यशवन्त नगर-कुरावन, फैजाबाद

न्यायालय उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर,फैजाबद।

आर०डी०सिंह मेमोरियल बनाम सरकार
ग्राम: कुरावन,परगना: पश्चिमराट
धारा 143 जेड.ए.ऐक्ट
वाद संख्या :- 02

:: आदेश ::

प्रश्नगत वाद शीलवन्त सिंह पुत्र रणधीर सिंह, अध्यक्ष आर०डी० सिंह मेमोरियल इन्स्टीट्यूट यशवन्त नगर कुरावन फैजाबाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुख्यरूप से कहा गया है कि गाटा सं० 1647 रकबा 0.253हे० वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थी द्वारा जरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक 11.06.10 द्वारा क्रय किया गया है और प्रार्थी के पक्ष में राजस्व अभिलेखागार में नामान्तरण की कार्यवाही हो चुकी है। प्रश्नगत भूमि अकृषिक भूमि है जिसमें शिक्षा सम्बन्धित कार्य प्रस्तावित है। मौके पर किसी प्रकार कृषि कार्य नहीं होता बल्कि इसका उपयोग कृषि कार्य से भिन्न हो रहा है। उपरोक्त भूमि को प्रार्थी अकृषिक भूमि धारा 143जेड०ए०एक्ट के तहत व्यावसायिक प्रयोग में होने के कारण आबादी/ व्यासायिक भूमि घोषित कराना चाहता है। उक्त भूमि सडक से 5मीटर दूर तथा आबादी से लगभग 300मीटर दूर तथा व्यासायिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है, तदनुसार प्रार्थी काबिज जायदाद है। बैनामे के दिनांक से ही कब्जा व दखल है तथा संस्था के हित में प्रार्थी व्यावसायिक भूमि घोषित कराना चाहता है, जिसके लिए महोदय की अनुमति आवश्यक है। अन्त में भूखण्ड सं० 1647/0.025हे० स्थित ग्राम कुरावन को धारा 143 के आबादी/व्यावसायिक भूमि घोषित किये जाने की याचना की गयी है। वाद पत्र के साथ शपथ पत्र, नामान्तरण बही की नकल व दस्तावेज बैनामा की छायाप्रति संलग्न की गयी है।

वाद के सम्बन्ध में तहसीलदार मिल्कीपुर से जांच आख्या मंगायी गयी। तहसीलदार मिल्कीपुर द्वारा जांच कराकर आख्या प्रस्तुत की गयी। तहसीलदार की आख्या दिनांक 29.09.10 एवं 14.01.2011 के अनुसार गाटा सं० 1647मि /0.253हे० पत्रावली के साथ संलग्न बैनामा की छायाप्रति एवं नामान्तरण बही की पृष्ठ सं0 247 क्रमांक 5पर अंकित सन् फसली 1418 के आदेश के अनुसार उक्त भूमि आर०डी०मेमोरियल इंस्टीट्यूट यशवन्तनगर कुरावन द्वारा अध्यक्ष शीलवन्त सिंह पुत्र रणधीर सिंह के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त गाटा से अजरौली–ड्योढी मार्ग से सटा हुआ है, जिसमें 0.253हे० का बैनामा आवेदक के पक्ष में हुआ है। उक्त भूखण्ड पर चार कमरा व बरामदा सहित दीवाल लगभग 10फिट तथा एक बडा हाल बरामदा सहित, कार्यालय बरामदा सहित तथा स्नानागार एवं शौचालय की दीवालों का निर्माण लगभग तैयार हो चुका है (नजरी नक्शा संलग्न है)। उक्त भूखण्ड का उपयोग पूर्णतया अकृषिक है। अन्त में उक्त भूखण्ड को जेड०ए०ऐक्ट की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की आख्या प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली प्राप्त होने पर वाद दर्ज रजिस्टर करके पक्षों को नोटिस जारी की गयी, जो

PTO

Principal
R.D. Memorial Institute of Medical Sciences
Yashwant Nagar,Kurawan,Milkipur,Ayodhya

प्रबन्धक
यश-शील ग्रामोत्थान सेवा संस्थान
यशवन्त नगर-कुरावन,फैजाबाद

बाद तामीला सलग्न पत्रावली है। कोई आपत्ति नहीं आयी। साक्ष्य के रूप में वादी का बयान अंकित किया गया। उक्त भूखण्ड में कृषि कार्य नहीं होता है। वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी एवं नामिका अधिवक्ता की तर्कपूर्ण बहस को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम कुरावन की गाटा स0 1647मि./0.253है0 का बैनामा आर0डी0मेमोरियल इन्स्टीट्यूट यशवन्तनगर कुरावन द्वारा अध्यक्ष शीलवन्त सिंह पुत्र रणधीर सिंह निवासी कुरावन, परगना पश्चिमराठ, तहसील मिल्कीपुर, जिला फैजाबाद ने लिया है। तहसीलदार मिल्कीपुर की आख्या के अनुसार उक्त भूमि में वर्तमान में कृषि नहीं हो रहा है। संस्था के आवासीय भवन का निर्माण हो रहा है। ऐसी दशा में उक्त भूखण्ड को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

अतः तहसीलदार मिल्कीपुर की आख्या दिनांक ~~[illegible]~~ 14.01.11 स्वीकार करते हुए ग्राम कुरावन की गाटा स0 1647 रकबा 0.391है0 में से 0.253है0 अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है, तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: 14-1-11

(अभयराज)
उपजिलाधिकारी,
मिल्कीपुर–फैजाबाद।

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित

रीडर
न्यायालय उप जिलाधिकारी
मिल्कीपुर-फैजाबाद

Principal
R.D. Memorial Institute of Medical Sciences
Yashwant Nagar, Kurawan, Milkipur, Ayodhya

प्रबन्धक
यश-शील ग्रामोत्थान सेवा संस्थान
यशवन्त नगर-कुरावन, फैजाबाद